न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1585–पीबीआर/2001 विरूद्ध आदेश दिनांक 31–7–2001 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर निगरानी क्रमांक 47/2000–01.

1– विजयसिंह पिता लालसिंह राजपूत
निवासी ग्राम पिटामली
तहसील महेश्वर जिला खरगोन
2– महेन्द्रसिंह पिता लालसिंह राजपूत
निवासी सदर
3– लालसिंह पिता मनोहरसिंह राजपूत
निवासी सदर

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1– भल्लाजी पिता सीताराम गुजर
2– अमरसिंह पिता शंकर गुजर
3– तुलसीराम पिता शंकर गुजर
4– अमरसिंह पिता भल्लाजी
5– विजयसिंह पिता लक्ष्मण
6– बलराम पिता लक्ष्मण
7– भाईराम पिता रामा
8– भगवान पिता तेजा
9– काशीराम पिता रामा
10– गोविंद पिता उमराव
11– केशरीमल पिता गंगाराम
12– गुलाबसिंह पिता गंगारा म
निवासीगण ग्राम पिटामली
तहसील महेश्वर जिला खरगोन
13– नवलसिंह पिता नत्थू
निवासी ग्राम कवड़िया
तहसील महेश्वर जिला खरगोन

.....अनावेदकगण

श्री आर.डी. शर्मा, अभिभाषक, आवेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/10/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–7–2001 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा संहिता की धारा 131 के अंतर्गत तहसीलदार के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण प्रारंभ कर अंतरिम आदेश पारित किया गया, जिसके विरूद्ध राजस्व मण्डल में निगरानी तक प्रचलित रहा, और तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रखा गया । तत्पश्चात तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण में कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान दिनांक 22–4–2000 को प्रकरण अनावेदकगण की अनुपस्थिति में निरस्त किया गया, अतः अनावेदकगण द्वारा संहिता की धारा 35 (3) के अंतर्गत प्रकरण पुनर्स्थापन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 26–9–2000 को आदेश पारित कर अनावेदकगण का पुनर्स्थापन आवेदन पत्र निरस्त किया गया । उक्त आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, मण्डलेश्वर जिला पश्चिम निमाड के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 29–12–2000 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करते हुए प्रकरण पुनर्स्थापन कर गुण–दोष पर आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 31–7–2001 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखा जाकर अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदकगण द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष अवधि बाह्य पुनर्स्थापन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसे निरस्त करने में तहसील न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है, और इस बिन्दु पर बिना विचार किये अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा अपील निरस्त करने में त्रुटि की गई है । यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा संहिता की धारा 35 (3) के प्रावधानों पर बिना विचार किये तहसील न्यायालय

का आदेश निरस्त करने में अवैधानिक कार्यवाही की गई । उनके द्वारा अपर आयुक्त एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया ।

4/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकालते हुए कि सीताराम को जारी सूचना पत्र इस पंचनामें के साथ वापिस प्राप्त हुआ था कि सीताराम मर चुका है, और उसके वारिस बालाजी ने नोटिस लेने से इंकार किया । अतः तहसील न्यायालय की जानकारी में यह तथ्य आ चुका था कि सीताराम की मृत्यु हो चुकी है, तब उन्हें उसके वारिसान को अभिलेख पर लेने की कार्यवाही करना चाहिए थी, जो नहीं की गई है । इसके अतिरिक्त प्रकरण में दिनांक 16–2–2000 के बाद दिनांक 8–3–2000 की पेशी नियत की गई थी, तो दिनांक 8–3–2000 की प्रोसीडिंग क्यों नहीं लिखी गई, इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है । स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त कर तहसील न्यायालय के समक्ष प्रचलित प्रकरण को पुनर्स्थापित करने हेतु इस निर्देश के साथ तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया है कि मृतक सीताराम के वारिसान को रिकार्ड में लेने की कार्यवाही कर उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण का गुण–दोष के आधार पर प्रकरण का विधिवत निराकरण किया जाये, पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही है, इसलिए अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है । इसी कारण अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा निगरानी निरस्त की गई है । अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष विधिसंगत होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं हैं ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–7–2001 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर